19-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत नाकोडा में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व 11 से 18 एकतरफा। विप्रार्थीगण संख्या 10 के वारिसान के नोटिस गत पेशी तामील शुदा प्राप्त हुए थे। जो आज रिकॉर्ड पर लिए गए। उक्त विप्रार्थी बावजूद सूचना के हाजिर नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। और अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। विप्रार्थीगण बावजुद सुचना के हाजिर नहीं हुए है। ऐसी सुरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नाकोड़ा)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 95/2016

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कानाराम पुत्र रूपाराम 2. वींजाराम पुत्र रूपाराम जाति राईका निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र रूपाराम 2. हेमा पत्नी मगाराम जाट 3. जबरसिंह पुत्र गुणेशा 4. भंवरसिंह पुत्र गुणेशा 5. मोहनसिंह पुत्र पूंजा 6. जालमसिंह पुत्र पूंजा 7. जमना बेवा पूंजा 8. पेमसिंह पुत्र सोनसिंह 9. राणसिंह पुत्र चैनसिंह 10. धुडसिंह पुत्र चैनसिंह के वारिसान 10/1. गोपालसिंह पुत्र धुडसिंह 10/2. कानसिंह पुत्र धुडसिंह 10/3.रसाल कवंर पत्नी धुडसिंह 11. जमना बेवा चैनसिंह 12. मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह 13. मलसिंह बेवा दीपसिंह 14. समदू बेवा दीपसिंह जातियान राजपूत 15. राजकुमार पुत्र बस्तीराम 16. पोकर पुत्र मांगा 17. खुमा पुत्र मांगा 18. अणसी बेवा मांगा जातियान राईका समस्त निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

का ही होगा । इसमें मेरा/ हमारा कोई ...

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)
उपस्थितः–1.श्री दलाराम चौधरी वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 19.6.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 25/4 व 25/3 कुल रकबा 48–00 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 25/4 व 25/3 कुल रकबा 48–00 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 25/4 व 25/3 कुल रकबा 48–00 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 25/4 व 25/3 कुल रकबा 48–00 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, सीमाज्ञान रिर्पोर्ट 9.6.13 एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 25/4 व 25/3 कुल रकबा 48–00 बीघा भूमि का प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2068 से 2071 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर **ग्राम नाकोडा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 25/4 व 25/3 कुल रकबा 48–00 बीघा भूमि** के सम्बन्ध में विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19-6-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner